निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 48/2025 (गुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शंकर पुत्र कालू, जाति माली, निवासी ग्राम धुलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. धारीराम पुत्र दामोदर
3. छोटू पुत्र कालू
4. रामू पुत्र कालू
5. शांति पत्नी कालू
6. प्रहलाद पुत्र भौरीलाल
7. भगवान पुत्र नहनू
8. अर्जुन पुत्र भौरीलाल
9. घीसी पुत्री तेजाराम
10. रमेश पुत्र तेजाराम
11. रामप्रसाद पुत्र भौरीलाल
12. रामफूल पुत्र तेजाराम
13. रामेश्वर पुत्र तेजाराम
14. लाली देवी पत्नी तेजाराम
15. सुरेश पुत्र तेजाराम
16. अमरचन्द पुत्र गोविन्दराम
17. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम
18. कमलेश पुत्र गोविन्दराम
19. चन्दालाल पुत्र चौथूराम
20. नाथूलाल पुत्र चौथूराम
21. प्रभाती पत्नी गोविन्दराम
22. प्रेम देवी पुत्री गोविन्दराम
23. बाबूलाल पुत्र चौथूराम
24. मूल्या पुत्र रेवड
25. महेश पुत्र गोविन्दराम
26. लाडा पुत्री चौथू
27. कमली देवी पत्नी जगदीश
28. श्रवणलाल पुत्र जगदीश
29. रामधन पुत्र जगदीश
30. सरोज पुत्री जगदीश

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम धुलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

गुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 61/2023 ब–उनवानी धारीराम बनाम छोटू व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः—

1. श्री रजनीश गौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.08.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 61/2023 ब—उनवानी घासीराम बनाम छोटू व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में वादी घासीराम पीठासीन अधिकारी से साठ—गाठ करने में लगये हुये है एवं आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते है तथा उन पर राजनैतिक दबाव बना कर प्रकरण का अपने पक्ष में निर्णि करवाने को आमादा है। दिनांक 29.08.2024 को प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता कहीं बाहर जायेगें तो जिरह के लिये 10—11 दिन की तारीख पेशी दे दो तो दिनांक 05.09.2024 फरमा दी गई। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को मौखिक रूप से कहां कि उक्त प्रकरण को मुझे जल्द से जल्द निस्तारित करना है और मैं किसी प्रकार के नियमो को नहीं मानता हूँ, उक्त प्रकरण को घासीराम के पक्ष में निस्तारित करके रहूंगा। प्रार्थी को उक्त तथ्यों के मध्य नजर रखते हुये यह पूर्ण अन्देशा हो चुका है कि उक्त प्रकरण पीठासीन अधिकारी एवं मूल वाद के वादी घासीराम के मध्य सांठ—गांठ हो चुकी है एवं प्रकरण घासीराम के पक्ष में निस्तारित किया जावेगा। उक्त कार्यवाही से अधिनस्थ न्यायालय की बदनियति स्पष्टतः प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
5. अप्रार्थीगण संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नही किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार एवं नजदीक–नजदीक तारीख पेशी दी जाने पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जि.ला कलक्टर
जयपुर